Government employees covered by the PF scheme, if so ; and

(b) when this scheme is likely to be finalised and given effect ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) and (b) The Central Board of Trustees, Employees Provident Fund have recommended the introduction of a suitable pension scheme for the members of the Employees' Provident Funds Scheme including those in the private sector. The recommendation of the Board is presently under consideration of the Government.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन

548. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 23 सितम्बर, 1991 के "दि इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी अदा नहीं की जा रही है और उन्हें उक्त अधिनियम में निर्धारित कार्य-घंटों से अधिक समय तक काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पूर्णतः क्रियान्वित किया जाये ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घटोवार) : (क) जी हां। इस समाचार का संबंध पंजाब राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से है। पंजाब सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 67 अनुसूचित नियोजनों में से 60 अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर दिया गया है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन के लिये 100 निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है। अप्रैल से सितम्बर 1991 के दौरान, जिसके लिये अद्यतम आंकड़े उपलब्ध हैं, औद्योगिक एककों में 13,178 निरीक्षण किये गये और 623 अभियोजन दायर किये गये। इसी अवधि के दौरान, अनियमितता बरतने के आरोप में 423 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना किया गया और जुर्माने के रूप में 76,350 रु० की राशि वसूली गयी।

(ख) से (घ) राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के निर्धारण/संशोधन और प्रवर्तन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। सभी राज्य सरकारों के पास इस उद्देश्य के लिये प्रवर्तन तंत्र है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा नियमित रूप से चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन और राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आदि जैसी विभिन्न राष्ट्रीय त्रिपक्षीय निकायों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों पर जोर देती रही है।

Payment of Provident Fund

549. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) names of the public sector